को पेश होवे।

SDO

23.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित वकील अप्रार्थीया ने जवाब प्रस्तुत किया। शामिल पत्रावली होवे। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष में है। मौके एवं रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर वाद विविधता बढेगी। अतः दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा भादर में स्थित वादग्रस्त भूमि में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना